LA/SS-I/ULB/14552/181

1205

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग
कार्यालय, प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग/सामाजिक प्रक्षेत्र-I
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना-800 001
Indian Audit & Accounts Department
Office of the Principal Accountant General (Audit), Bihar
Local Audit Department/Social Sector -I
Birchand Patel Marg, Patna-800 001

दिनांक/Date : 08/09/2016

सेवा में

प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार सरकार, पटना

विषयः–नगर परिषद्, सीवान एवं सासाराम का विशेष लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रेषित करने के संबंध में।

महाशय,

आपके द्वारा प्राप्त पत्र सं0–01/स्था0(परि0)–26/2013/5353 दिनांक 12.08.16 के आलोक में नगर परिषद्, सीवान तथा सासाराम का विशेष लेखापरीक्षा प्रतिवेदन आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है।

यह विशेष निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध कराई गई सूचनाओं/विवरणी के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार(लेखापरीक्षा), बिहार, पटना का कार्यालय लेखापरीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

प्रधान सचिव कोषांग, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना
पत्र पंजी
09 SEP 2016
संख्या 8623

विश्वासभाजन
8/9/16
उपमहालेखाकार
सह
स्थानीय लेखापरीक्षक
सा0प्र0–1, स्थानीय लेखापरीक्षा स्कंध, पटना

दूरभाष/Phone - 0612-2223725, ई.पी.ए.बी.एक्स./EPABX-2223757, 2228320
फैक्स./Fax : 0612-250 6565, 250 6174, ई.मेल/E-mail- srdagladpatna@cag.gov.in

नगर परिषद् सीवान
विशेष अंकेक्षण प्रतिवेदन

कंडिका संख्या-1 सोलर लाईट 330 अददका क्रय

सशक्त स्थायी समिति की विशेषबैठक 22.10.11 के प्रस्ताव सं0 2(X) में सीवान शहरी क्षेत्र में 100 अदद सोलर लाइट लगाने का निर्णय लिया गया तत्पश्चात् दिनांक 30.11.11 को 80 अदद सोलर लाइट हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की गयी। निविदा दैनिक सामाचार पत्र 'आज' में दिनांक 07.12.11 कों प्रकाशित की गयी। निविदा के आलोक में तीन निविदादाताओं ने निविदा डाली। नगर परिषद् द्वारा गठित क्रय समिति के समक्ष निविदा 21.02.2012 को खोला गया। इसमें निम्नतम निविदादाता मेसर्स विशाल इन्टरप्राईजेज, कंकडबाग, पटना, जिनका समझौता दर प्रति पीस ₹26684 था को चयनित किया गया।कार्यालय एवं विशाल इन्टरप्राईजेज के बीच 23.02.12 को एकरारनामा किया गया। फार्म द्वारा कुल 330 अदद सोलर लाइट की आपूर्ति व अधिष्ठापन आपूर्ति आदेश के आलोक में किया गया | विवरण नीचे है-

क्रम सं	कार्यालय का आपूर्ति आदेश पत्रांक / दिनांक	अदद की संख्या
1	197 / 24.02.2012	70
2	250 / 13.03.2012	80
3	426 / 26.03.2012	120
4	448 / 29.03.2012	50
5	560 / 12.04.2012	10
कुल		330

फॉर्म द्वारा कुल विपत्र की राशि रु 8805720 समर्पित किया गया जिसमे से राशि रु 8270975 का भुगतान करों के कटौती के उपरांत फर्म को किया गया | इसमें सुरक्षित जमा राशि भी सम्मिलित थी | विवरण नीचे है-

क्र सं	चेक सं0	तिथि	राशि	आयकर 2.36%	वैट 5%	सुरक्षित जमा 10%	अन्तिम भुगतान	अभिश्रव सं0	लाईटों की सं0	अभियुक्ति
1.	596502	03.03.12	1601040	37785	80050	160104	1323101	173/11–12	60	13वीं
2.	596508	24.03.12	2134720	50379	106736	213472	1764133	182/11–12	80	13वीं
3.	596511	10.04.12	4803120	नहीं	240156	480312	4082652	01/12–13	180	12वींव13वीं
4.	596554	28.07.12	266840	6297	13342	26684	220517	77/12–13	10	न. प.
5	596511	10.04.12					373576	01/12–13		सुरक्षित जमा राशि की वापसी
6	616173	11.04.13					506996	278/13–14		सुरक्षित जमा राशि कि वापसी
			8805720	94461	440284	880572	8270975		330	

21.2.2012 को कय समिति की बैठक में लगाये गये सभी सोलर लाइट के मेन्टेनेंस के लिए आपूर्ति दर के 10 प्रतिशत पर आपूर्तिकर्ता को ही देने का निर्णय लिया। जिसके आलोक में विशाल इन्टरप्राईजेज के साथ प्रति सोलर लाइट ₹2668 पर 330 अददसोलर लाइट का मेन्टेनेंस करने का आदेश दिया गया। मेन्टेनस की अवधि दो वर्षो सहित कुल 10 वर्षो के लिए की गयी।**प्रारंभ में पांच वर्षों के लिए विपत्र की राशि रु 4402200 के विरुद्ध करों के कटौती के पश्चात रु 4108133 का भुगतान फर्म को किया गया था जिसमें सुरक्षित जमा राशि भी शामिल थी। विवरणी इस प्रकार है-**

क0 सं0	चेक सं0	तिथि	राशि	आयकर 2.36 %	वैट 5%	सुरक्षित जमा 10%	अन्तिम भुगतान	अभिश्रव सं0
1.	596571	12.09.12	2201100	51946	110055	176088(8 %)	1863011	117/12–13
2.	616118	28.12.12	2201100	22011 (1%)	110055	220110	1848924	199/12–13
3	616347	07.09.13					396198	392/13–14
			4402200	73957	220110	396198	4108133	

अंकेक्षण आपत्ति–

(i) वित्तीय नियमावली का पालन नहीं-

बिहार वित्त नियमावली की धारा 131 (I) के अनुसार ₹25 लाख तक के सामानों की खरीदारी के लिए Limited tender Enquiry प्रकिया को अपनाना चाहिए जिसके तहत जिस सामान की आवश्यकता है उसके रजिस्टर्ड आपूर्तिकर्ता को कार्यालय स्वयं रजिस्टर्ड पत्र द्वारा संपर्क साधा जा सकता है या दैनिक सामाचार पत्र जो ज्यादा प्रचलन मे हो उसमें निविदा निकाली जा सकती है या web based wide publicity की जानी चाहिए तथा 131 (H) के तहत ₹25 लाख से उपर के सामानों की खरीदारी में Advertised tender enquiry प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। जिसके तहत कम-से-कम राष्ट्रीय स्तर के एक दैनिक सामाचार पत्र एवं Indian Trade Journal, Director General of Commercial Intelligence and Statistics , Kolkata में निविदा प्रकाशित की जानी चाहिए, परन्तु संचिका के अवलोकन से पता चला कि ऐसी किसी भी प्रकिया का पालन नहीं किया गया था। जबकि निविदा दैनिक सामाचार पत्र 'आज' जो कम प्रचलित सामाचार पत्र है एवम् स्थानीय स्तर की है, में निकाली गयी। संचिका के अवलोकन से यह पता चला कि निविदा का web based wide publicityनहीं की गयी। इससे यह साफ पता चलता है कि सोलर लाइट की खरीदारी में बिहार वित्त नियमावली का पालन किसी भी स्तर पर नहीं किया गया जिससे खरीदारी में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का स्पष्ट अभाव पाया गया |

कार्यालय द्वारा जवाब में बताया गया कि सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा आज समाचार पत्र में सूचना प्रकाशित कराया गया |

(ii) **नगर परिषद् बोर्ड की अनुमोदन प्राप्त किये बिना क्रय / सशक्त स्थायी समिति के प्रस्ताव से अधिक का क्रय-**

बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 75 के उपनियम–छः के अनुसार नगर परिषद् के मामले में राशि ₹05 लाख से अधिक किन्तु ₹12 लाख से कम की संविदा के लिए सशक्त स्थायी समिति की स्वीकृति आवश्यक है एवं 12 लाख से उपर के लिए सामन्य बैठक की सहमति आवश्यक है| पुनःबिहार नगरपालिका सशक्त स्थायी समिति कार्य संचालन नियमावली 2010 के धारा- 10 (5) के अनुसार समिति द्वारा पारित सभी विषय नगरपालिका की अगली बैठक

(20)

में रखी जायेगी परन्तु रु 132.08 लाख के व्यय के पहले या बाद नगर परिषद् के सामन्य वैठक में सहमति नहीं लिया गया था |

सशक्त स्थायी समिति की 22.10.11 की बैठक में सिर्फ 100 सोलर लाइट लगाने का निर्णय लिया गया था, परन्तु संचिका के अवलोकन से यह पता चला कि कुल 330 सोलर लाईट की खरीदारी की गयी थी जो प्रस्ताव से अधिक था |

कार्यालय द्वारा जवाब में बताया गया कि नगर सभापति द्वारा आपूर्ति आदेश के पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया था |

(iii) नियत अवधि के पूर्व रख रखाव की राशि भुगतान होने से फर्म को अनुचित लाभ पहुंचाना-

कार्यालय द्वारा निकाले गये निविदा की शर्त सं0 8 में यह स्पष्ट लिखा है कि आपूर्ति किये जाने वाले सामान पर 2 वर्षों का मेन्टेनेंस आपूर्तिकर्ता द्वारा किया जाएगा। साथ ही साथ विशाल इन्टरप्राईजेज द्वारा दिए गए अपने कोटेशन की क्रम सं0 4 में भी यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि कम्पनी द्वारा 2 वर्षो का मेन्टेनेस दिया जाएगा। बावजूद इसके कार्यालय द्वारा सामान की प्राप्ति फरवरी 2012को की गयी परन्तु मेन्टेनेंस का आदेश एवं भुगतान सात महीने बाद ही सितम्बर 2012 में की गयी। मेन्टेनेंस पर ₹4402200 (कर सहित)का भुगतान किया गया। मेन्टेनेंस मार्च 2014सेकिया जाना चाहिए था परन्तु सितम्बर2012 में ही मेन्टेनेंस के मद पर खर्च कर दिया गया| नगर परिषद् के ज्ञापांक 79 दिनांक 08.01.2014, जिसमे सशक्त स्थायी समिति के बैठक दिनांक 22.10.2011 के प्रस्ताव के आलोक में क्रय की गयी सोलर लाईट के रख रखाव की जांच कार्यालय द्वारा 19.12.2013 को किया गया जिसमे पाया गया कि रख रखाव के अभाव में काफी संख्या में सोलर लाईट नहीं जल रहा था | यह अवधि अधिष्ठापन के दो वर्ष के भीतर का था जिसमे फॉर्म को निःशुल्क रख रखाव करना था, अन्यथा सोलर लाईट के आपूर्ति / रख रखाव के भुगतान में सुरक्षित जमा राशि के रूप में कटौती की गयी राशि को जप्त किया जा सकता था |

ज्ञात हो की रख रखाव की सुरक्षित जमा राशि रु 396198 का भुगतान फर्म को 07.09.2013 को ही कर दिया गया था तथा इस आदेश के बाद फर्म से इस राशि की वसूली हेतु कोई प्रयास नहीं किया गया |

निःशुल्क अवधि में ही काफी संख्या में सोलर लाईट बंद पड़े होने से स्पष्ट है कि नियत अवधि के पूर्व ही पांच वर्ष का रख रखाव का सम्पूर्ण राशि का भुगतान कर फर्म को रु 44.02 लाख का अनुचित लाभ पहुंचाया गया तथा सरकारी राजस्व की क्षति भी हुई | साथ ही इस अवधि के पूर्व ही सामग्री के विरूद्ध काटी गई सुरक्षित जमा राशि रू 880572 का भुगतान भी अनुचित लाभ था |

कार्यालय द्वारा जवाब में बताया गया कि नगर सभापति से अनुमोदन प्राप्त कर भुगतान किया गया था |

(iv) भण्डार पंजी, अधिष्ठापन स्थल, तकनीकी जांच प्रतिवेदन-

संचिका के अवलोकन से यह पता नहीं चल पाया कि खरीदे गये सभी सोलर लाइट का अधिष्ठापन कहाँ–कहाँ किया गया है। अतः भंडार पंजी एवम् कहाँ– कहाँ लगाए गए का अधिष्ठापन प्रमाण पत्र अंकेक्षण को प्रस्तुत किया जाय | पत्रांक सं0 968/23.7.12 द्वारा श्री मनोरंजन प्रसाद, तकनीशियन ब्रेडा जिला विकास शाखा,सीवान को लगाये गये सभी सोलर लाइट की गुणवत्ता की जांच करने का अनुरोध किया गया। पत्रांक 999 दिनांक 25.07.2012 द्वारा ब्रेडा निदेशक, पटना को भी गुणवत्ता जांच हेतु पत्र दिया गया था परन्तु यह अप्राप्त था ! इसके बिना अंतिम भुगतान किया गया। सभी सोलर लाइटों का गारंटी कार्ड भी अंकेक्षण में माँगे जाने पर प्रस्तुत नहीं किया गया। साथ ही वर्तमान स्थिति से भी अवगत नहीं कराया गया |

कार्यालय द्वारा जवाब में बताया गया कि अधिष्ठापन स्थल की सूची उपलब्ध करा दिया गया है | वर्तमान स्थिति जांच कर आपके कार्यालय को उपलब्ध करा दिया जाएगा | ब्रेडा से

1199

जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है | नगर परिषद् सिवान के कनीय अभियंता का जांच प्रतिवेदन प्राप्त है |

वित्तीय नियमावली एवम् बोर्ड का अनुपालन / अनुमोदन प्राप्त किये बिना क्रय अनियमित था | नियत अवधि के पूर्व रख-रखाव राशि का भुगतान अनियमित था | वर्तमान भौतिक स्थिति अब तक अप्राप्त है |

कंडिका संख्या-2. 400 अदद सोलर लाईट की क्रय

नगर परिषद् के सामान्य बैठक दिनांक– 10.09.2012 के प्रस्ताव सं0 02 (II) के द्वारा प्रत्येक वार्ड में 10–10 सोलर लाईट लगाने की स्वीकृति दी गई, कुल 38 वार्ड है। विज्ञापन हेतु पत्र 03.11.2012 को जारी हुआ जिसमें क्रय की मात्रा नहीं दिया गया था।

17.12.2012 को क्रय समिति की बैठक में सबसे न्यूनतम दर विशाल इंटरप्राईजेज, कंकड़बाग, पटना (एरीयन कम्पनी) का पाया गया, जिसका दर मो0 23000/– था से एकरारनामा दिनांक– 20.12.2012 को कर आपूर्ति आदेश दिया गया। एकरारनामा के शर्त 5 के अनुसार वारंटी अवधि 2 वर्ष छोड़कर 5 वर्ष के लिए रख–रखाव एवं मरम्मति के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित दर पर राशि देय होगा। तकनीकी बीड में 2 वर्ष का रख–रखाव शामिल था।

पत्रांक– 1887 दिनांक– 28.12.2012 द्वारा 200 अदद तथा पत्रांक– 1491 दिनांक– 24.07.2013 द्वारा 200 अदद की आपूर्ति आदेश दिया गया था। इन्हें मो0 92 लाख के विरूद्ध करों की कटौती कर राशि मो0 81,14,400/– का भुगतान किया गया, जिसमें सुरक्षित जमा राशि मो0 3,86,400/– शामिल था। भुगतान की विवरण नीचे है :–

क्र0सं0	विपत्र की राशि	आयकर राशि	वैट राशि	सुरक्षित जमा राशि	फर्म को भुगतान राशि	चेक सं0	दिनांक	अभिश्रव की संख्या	लाईट की सं0	मद/अभ्युक्ति
1	4600000	46000	230000	460000	3864000	616173	11.04.13	277/13–14	200	चतुर्थ वित्त
2	4600000	46000	230000	460000	3864000	616347	07.09.13	393/13–14	200	नगर निधि
3	460000	4600	23000	46000	386400	616347	07.09.13	393/13–14		सुरक्षित जमा की वापसी
कुल	9660000	96600	483000	966000	8114400				400	

अधिष्ठापन के 2 वर्ष छोड़कर अगले 5 वर्ष के रख–रखाव की राशि मो0 46 लाख के विरूद्ध करों एवं 10 प्रतिशत सुरक्षित जमा की कटौती कर राशि मो0 39.79 लाख का भुगतान किया गया था। विवरण नीचे है :–

क्र0सं0	विपत्र की राशि	आयकर राशि	वैट राशि	सुरक्षित जमा राशि	फर्म को भुगतान राशि	चेक सं0	दिनांक	अभिश्रव की संख्या	लाईट की सं0	मद/अभ्युक्ति
1	2300000	23000	–	230000	2047000	616323	22.07.13	343/ 13–14	200	
2	2300000	23000	115000	230000	1932000	616347	07.09.13	393/ 13–14	200	नगर निधि
कुल	4600000	46000	115000	460000	3979000				400	

अंकेक्षण टिप्पणी :–

1. **वित्तीय नियमावली का पालन नहीं**– बोर्ड की बैठक में प्रत्येक वार्ड में 10–10 सोलर लाईट क्रय का प्रस्ताव पारित किया गया था। इस प्रकार कुल 380 सोलर लाईट की आवश्यकता थी। क्रय भी 400 अदद का किया गया। निविदा प्रकाशन में अदद की संख्या नहीं दिया गया था अगर दिया जाता तो निविदा रू 8740000 का होता । बिहार वित्त नियमावली की धारा 131 (1) के अनुसार मो0 25 लाख तक के सामानों की खरीदारी के लिए Limited tender Enquiry प्रक्रिया को अपनाना चाहिए, जिसके तहत जिस सामान की आवश्यकता है उसके रजिस्टर्ड आपूर्तिकर्त्ता को कार्यालय स्वयं रजिस्टर्ड पत्र द्वारा सम्पर्क साधा जा सकता है या दैनिक सामाचार पत्र जो ज्यादा प्रचलन में हो उसमें निविदा निकाला जा सकता है या web based wide publicity की जानी चाहिए तथा 131 (H) के तहत मो0 25 लाख के उपर के सामानों की खरीदारी में Advertised tender Enquiry प्रक्रिया को अपनाना चाहिए जिसके तहत कम से कम राष्ट्रीय स्तर के एक दैनिक सामाचार पत्र एवं Indian Trade Journal, Director General of Commercial Intelligence and Statistics, Kolkata में निविदा प्रकाशित की जानी चाहिए, परन्तु संचिका के अवलोकन से पता चला की ऐसी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था। निविदा दैनिक समाचार पत्र "हिन्दुस्तान" में 13.11.2012 को प्रकाशित हुआ। संचिका के अवलोकन से पता चला कि निविदा का web based wide publicity नहीं

197

की गई। इससे यह साफ पता चलता है कि सोलर लाईट की खरीदारी में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का स्पष्ट अभाव पाया गया।

कार्यालय द्वारा जवाब में बताया गया कि भविष्य में क्रय करते समय वेव बेस्ड पब्लिसिटी किया जाएगा।

2. **<u>अधिष्ठापन के 2 वर्ष बीतने के पूर्व ही रख–रखाव शुल्क 5 वर्ष का तथा आपूर्ति के अन्तर्गत सुरक्षित जमा राशि की वापसी कर फर्म को अनुचित लाभ पहुँचाना</u> मो0 45.26 लाख –**

वित्त विभाग के संकल्प सं0 9370/वि0(2) दिनांक– 05.09.2012 द्वारा सौर ऊर्जा संयंत्रों के क्रय के लिए ब्रेडा को राज्य क्रय संगठन नामित किया गया। ब्रेडा, पटना के पत्रांक– 1510 दिनांक– 27.09.2013 के अनुसार सोलर लाईट अधिष्ठापन हेतु कार्यादेश के बाद अधिष्ठापित कर दिए जाने पर आपूर्तिकर्त्ता की 10 प्रतिशत राशि सुरक्षित रखी जाएगी जो 02 वर्ष बाद गारंटी अवधि पूरी करने के बाद दी जाएगी। फर्म द्वारा तकनीकी बीड में रख–रखाव 24 माह तक किया जाएगा (शर्त्त सं0 04) लिखा हुआ था। अधिष्ठापन की तिथि संचिका से ज्ञात नहीं था। प्रथम विपत्र 05.04.2013 को दिया गया था। अर्थात 04.04.2015 तक फर्म को निशुल्क रख–रखाव करना था। इसके पश्चात् सुरक्षित जमा राशि की वापसी करनी थी। परन्तु, सुरक्षित जमा राशि मो0 3,86,400/– दिनांक– 07.09.2013 को वापस कर दिया गया था।

पुनः रख–रखाव की राशि 41,40,000/– का भुगतान करों की कटौती सहित 24.07.2013 व 07.09.2013 को कर दिया गया था। जबकि इसका भुगतान 04.04.2015 के पश्चात करना चाहिए था। एकरारनामा के शर्त्त सं0 03 के अनुसार कोई खराबी होने पर उन्हें तत्काल बदलना होगा अन्यथा सुरक्षित जमा राशि जब्त कर ली जाएगी। कार्यालय के पत्रांक– 2074 दिनांक– 29.10.2013, 2343 दिनांक– 29.11.2013, 2453 दिनांक– 12.12.2013, 170 दिनांक– 20.01.2014, 362 दिनांक– 05.02.2014 द्वारा फर्म को कहा गया था कि अधिकांशतः सोलर लाईट बन्द पड़े है, से स्पष्ट है कि इसका रख–रखाव नहीं किया जा रहा था।

इस प्रकार, फर्म को राशि मो0 45,26,400/– का अनुचित लाभ पहुँचाया गया।

कार्यालय द्वारा जवाब में बताया गया कि नगर सभापति से अनुमोदन प्राप्त कर भुगतान किया गया था।

3. <u>**भण्डार पंजी, अधिष्ठापन स्थल की सूची, तकनीकी जाँच प्रतिवेदन**</u> – 400 अदद सोलर लाईट के क्रय से संबंधित भंडार पंजी, अधिष्टापन स्थल की सूची, तकनीकी,गारंटी/वारंटी कार्ड कर्मी से तकनीकी जाँच प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने को कहा गया। साथ ही लाईट की वर्त्तमान स्थिति से भी अवगत कराये जाने हेतु कहा गया। गारंटी/वांरटी कार्ड भी प्रस्तुत करने हेतु कहा गया।

   कार्यालय द्वारा जवाब में बताया गया कि वर्त्तमान स्थिति जांच कर महालेखाकार **कार्यालय को उपलब्ध करा दिया जाएगा |**

4. <u>**वैट की नहीं कटौती :–**</u> रख–रखाव मद में दिनांक– 22.07.2013 को भुगतान करते समय बिल से वैट की राशि मो0 1,15,000/– की कटौती नहीं किया गया था। इस प्रकार फर्म को राशि मो0 1,15,000/– का अधिक भुगतान किया गया।

   कार्यालय द्वारा जवाब में बताया गया कि फर्म को नोटिस किया जाएगा |

   वित्तीय नियमावली का अनुपालन किये बिना क्रय अनियमित था | नियत अवधि **के पूर्व रख-रखाव राशि का भुगतान अनियमित था | वर्तमान भौतिक स्थिति अब तक अप्राप्त है |**

कंडिका संख्या- 3. **Dynamic CMS Website with Web Application पर निष्फल व्यय - 36.82 Lakh**

नगर परिषद्, सीवान की साधारण बैठक दिनांक– 10.09.2012 के प्रस्ताव सं0 2 (IX) में निर्णय लिया गया था कि आई0टी0 मद में प्राप्त राशि को बिहार वित्तीय नियमावली के तहत लिमिटेड टेंडर कर निविदा आमंत्रित कर कार्रवाई की जाय।

तद्नुसार चार फर्म को Dynamic CMS Website with Web Application Proposal के लिए दिनांक– 19.09.2012 को पत्रांक– 1351 द्वारा बिहार वित्तीय नियमावली 2005 के नियम 131 (I) के अनुसार रजिस्टर्ड आपूर्तिकर्ता को सूचना दी गई थी इसमें Brief Scope of work था :–

(1) Public Pages – Public use के लिए।

(2) Admin Pages – Internal users जिसमें 4 Module था। वे इस प्रकार थे :–

(i) Staff Management System

(ii) Salary Management System

(iii) MIS Reports Generation up to 10 reports

(iv) Content Management and users access related features

चार फर्म द्वारा तकनीकी व वित्तीय निविदा डाला गया। जिसे कार्यपालक पदाधिकारी तथा नगर सभापति के समक्ष 27.09.2012 को खोला गया जिसमें न्यूनतम वित्तीय दर "R.V Solutions (P) Ltd., Noida (U.P.) का था, को दिनांक– 05.10.2012 को कार्यादेश निर्गत किया गया था। एकरारनामा दिनांक– 05.10.2012 को किया गया। दर मो0– 6,85,000+सेवा कर था। रख–रखाव शुल्क छः माह तक निःशुल्क था। इसके पश्चात प्रति वर्ष मो0 1,71,600+कर आदि था, जिसमें प्रति वर्ष 10 प्रतिशत वृद्धि था।

इसके पश्चात् निम्न Module का अतिरिक्त आदेश निर्गत किया गया।

क्र0 सं0	पत्रांक/दिनांक	Module का नाम	दर	रख–रखाव शुल्क
1	1568B दिनांक– 25.10.2012	Fund Management	2,90,000+कर	72,500+कर
2	1768 दिनांक– 30.11.2012	Event Management System including SMS facilities	3,10,000+कर	77,500+कर
3	221 दिनांक– 31.01.2013	Sanitation & Mobile Tower Management	5,85,000+कर	1,46,250+कर
4	1044 दिनांक– 13.05.2013	Adding some new pages relating ward parshad	1,25,000+कर	

फर्म को बिल की राशि मो0 36,82,215 के विरूद्ध Module सहित रख–रखाव की राशि मो0 35,98,532 का भुगतान किया गया। विवरणी नीचे है:–

क्र0 सं0	बिल की राशि	बिल की तिथि	आयकर कटौती/वैट	सुरक्षित जमा राशि की कटौती	फर्म को भुगतेय राशि	विवरण	चेक सं0	तिथि	मद
1	1,92,417	19.10.12	1,924	19,242	1,71,251	Module की राशि	596599	10.11.12	12th F.C.
2	7,40,171	22.11.12 से 15.12.12	7,402	74,017	6,58,752	Module की राशि	616136	1.02.13	4th SFC

3	7,04,048	05.02.13 से 03.04.13	7,040	70,405	6,26,603	Module की राशि व AMC Dynamic CMS web site with web application	616324	22.07.13	–
4	8,79,217	01.08.13 से 22.08.13	8,792	87,922	7,82,503	Module की राशि व Fund managemen t की AMC	616343	29.08.13	4th SFC
5	2,51,406	18.09.13. से 08.11.13	2,515 / 12,570	25,141	2,11,180	AMC	616503	12.02.14	NP Fun
6	2,51,586				2,51,586	सुरक्षित जमा राशि, उपरोक्त क्र0 सं0 01 से 04	616504	13.02.14	NP Fun
7	9,14,956	26.06.14 से 01.07.15	18,299	–	8,96,657	AMC	189848	12.08.15	NP Fun
कुल	**39,33,801**		**45,972 / 12,570**	**2,76,727**	**35,98,532**				

वास्तविक बिल की राशि रू0 36,82,215 था।

अंकेक्षण टिप्पणी :–

1. क्रय समिति :– क्रय समिति में कोई तकनीकी कर्मी विशेष कर कम्प्यूटर में दक्ष व्यक्ति नहीं थे। इसके साथ–साथ महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, वाणिज्य कर पदाधिकारी, कोषागार पदाधिकारी, जिला लेखा पदाधिकारी एवं अपर समाहर्त्ता नही थे। जबकि 27.09.12 के पश्चात 17.12.12 को सोलर लाईट के क्रय की निविदा में उपरोक्त सभी पदाधिकारी थें। 27.09.12 को निविदा खोलते समय मात्र कार्यपालक पदाधिकारी एवं नगर सभापति ही थे। उपरोक्त पदाधिकारी को निविदा खोलते समय आमंत्रित नही किये जाने के संबंध में आपत्ति किये जाने पर **कार्यालय द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया।**
2. तकनीकी निविदा में असफल :– तकनीकी निविदा के शर्त (a)में यह वर्णित था कि फर्म को कम से कम 03 तीन वर्षो का इस क्षेत्र में कार्य का अनुभव हो। शर्त (b) में Blacklisted /Debarred नही का प्रमाण–पत्र देना था। परन्तु किसी भी फर्म द्वारा शर्त (b) के संबंध में कोई प्रमाण नही दिया गया था। शर्त (a) के सबंध में कोई भी प्रमाण चयनित फर्म का संलग्न नही था। सिर्फ 21.08.11 को निबंधन का प्रमाण था। इस प्रकार,

चयनित फर्म तकनीकी निविदा में ही असफल थें। फिर भी इन्हें कार्यादेश दिया गया। **कार्यालय द्वारा इस संबंध में कोई जवाब नहीं दिया गया |**

3. आवंटनादेश :–IT मद में सरकार से प्राप्त आवंटनादेश को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः इसे अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाये।

4. Module का कार्य :– निर्मित 8 Module में से किससे क्या–क्या कार्य लिया जा रहा था , इसकी मासिक, त्रैमासिक व वार्षिक प्रतिवेदन अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। नगर परिषद् में कोई भी कम्प्यूटर के तकनीकी कर्मी नही होने से इनका परिचालन किस प्रकार संभव हुआ ज्ञात नहीं किया जा सका। तकनीकी कर्मी के अभाव से स्पष्ट है कि इस पर व्यय निष्फल था।

कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि Event Management System including SMS facilities **का उपयोग किया जा रहा है |**

5. आयकर की कम कटौती :– फर्म के विपत्र से 2 प्रतिशत आयकर की कटौती करना था। परंतु राशि मो0 73,644 के विरूद्ध मात्र मो0 45,972 की कटौती किया गया था। इस प्रकार मो0 27,672 की कम कटौती किया गया था।

कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि फॉर्म को नोटिस किया जायेगा |

आठ मोड्यूल में से सात मोड्यूल के अधिष्ठापन से कार्यशील नहीं रहने से स्पष्ट है कि राशि रु 36,82,215 का व्यय निरर्थक हुआ |

कंडिका संख्या- 4 File Tracking & Management System Software पर निष्फल व्यय - Rs.13.64 Lakh

नगर परिषद्, सीवान की साधारण बैठक दिनांक– 10.09.2012 के प्रस्ताव सं0 2 (IX) में निर्णय लिया गया था कि आई0टी0 मद में प्राप्त राशि को बिहार वित्तीय नियमावली के तहत लिमिटेड टेंडर कर निविदा आमंत्रित कर कार्रवाई की जाय।

तद्नुसार चार फर्म को File Tracking & Management System Software Proposal के लिए दिनांक– 05.08.2013 को बिहार वित्तीय नियमावली 2005 के नियम 131 (I) के अनुसार रजिस्टर्ड आपूर्त्तिकर्त्ताओं को प्रति दिया गया था। इस Software का मुख्य उद्देश्य निम्न था :–

(1) The DAK can be registered digitally including the upload of s canned copy of DAK

(2) The DAK is then associated to a new or an existing file

(3) The movement of the file is then tracked to closure.

DAK/ Receipt management

File management

File movement Resister

User management and security

तकनीकी निविदा चारों फर्म द्वारा डाला गया जिसे सशक्त स्थायी समिति के समक्ष 25.09.2013 को खोला गया। जिसमें मात्र एक फर्म Agile Tech Solutions, Ghaziabad, UP ही सफल थें। परन्तु वित्तीय बीड दो फर्म का खोला गया जिसमें Agile Tech Solutions, Ghaziabad, UP के दर को न्यूतम मानकर कार्यादेश दिनांक– 05.10.2013 को दिया गया। इनका दर मो0 9,85,000/+करों था तथा वार्षिक रख–रखाव शुल्क (AMC) प्रति वर्ष अधिष्ठापन के छः माह बाद मो0 2,46,250+ करों सहित था। फर्म द्वारा 14.10.2013 को SRS समर्पित किया गया। फर्म द्वारा राशि मो0 13,83,432 का विपत्र समर्पित किया गया जिसके विरूद्ध राशि मो0 13,64,619/– का भुगतान किया गया। विवरण नीचे है :–

क्र0 सं0	बिल की तिथि	बिल की राशि	आयकर कटौती	सुरक्षित जमा की कटौती	फर्म को भुगतान	विवरण	चेक सं0	तिथि	मद
1	14.11.13 10.12.13	11,06,746	11,067	1,10,675	9,85,004	विपत्र की राशि	616390	11.01.14	चतुर्थ वित्त
2	02.05.15	2,76,686	7747	–	3,79,615	वर्षिक रख–रखाव 13 जून 2014 से 12 जून 2015 व सुरक्षित जमा राशि रू 11,0675	189849	12.08.15	स्वयं के स्त्रोत
कुल :–		**1383432**	**18814**	**110675**	**1364619**				

अंकेक्षण टिप्पणी :–

1. संस्वीकृति पत्र :– आई0टी0 मद में नगर विकास एवं आवास विभाग से किस पत्रांक व दिनांक से कितनी राशि किस उद्देश्य के लिए प्राप्त हुआ था, **के जवाब में बताया गया कि आई.टी. नाम से कोई विशिष्ट अनुदान प्राप्त नहीं हुआ था |**

2. एकल निविदा :– तकनीकी बीड में एक ही फर्म सफल थें। मेसर्स एडेप्टिव बिजनेस एफेयर्स प्रा0 लिडिटेड, लखनऊ द्वारा Blacklisted के संबंध में कागजात नहीं दिया गया था। इस प्रकार ये असफल थे। इस परिस्थिति में बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता के नियम 163 के अनुसार निकटतम उच्च प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि उचित प्रक्रिया और प्रचार का आश्रय सुनिश्चित रूप से किया गया। परन्तु न ही नगर परिषद् बोर्ड से अनुमोदन प्राप्त किया गया और न ही रद्द किया गया।

   जवाब दिया गया कि बोर्ड / सशक्त से अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था |

3. आयकर की कम कटौती :– फर्म के विपत्र से 2 प्रतिशत आयकर की कटौती करना था। अर्थात राशि मो0 24,625 (मो0 12,31,250 पर) की कटौती करना था। परन्तु मात्र 18,814 की कटौती किया गया था। इस प्रकार मो0 5,811 की कम कटौती किया गया था।

   कार्यालय द्वारा जवाब में बताया गया कि फॉर्म से राशि की वसूली हेतु नोटिस किया जाएगा |

4. उद्देश्य :– निर्मित सॉफ्टवेयर से किन–किन उद्देश्यों (कार्य क्षेत्र) की पूर्ति हुई, इसके मासिक, त्रैमासिक व वार्षिक प्रतिवेदन लेखा परीक्षा में प्रस्तुत करने को कहा गया। डाक की प्राप्ति, निपटान, फाईल मैनेजमेंट आदि से अवगत कराने हेतु कहो गया। वर्तमान **स्थिति से अंकेक्षण दल को अवगत नहीं कराया गया |**

   जवाब में बताया गया कि निर्मित सॉफ्टवेयर से कोई कार्य प्रारम्भ से नहीं हो रहा है |

5. तकनीकी कर्मी– कार्यालय में 14.11.2013 से कितने कम्प्युटर तकनीकी कर्मी हैं ? उनके द्वारा एवं इनके अतिरिक्त कितने कर्मी द्वारा उपरोक्त सॉफ्टवेयर का उपयोग किया गया, से संबंधित संधारित पंजी को अंकेक्षण में प्रस्तुत **नहीं** किया **गया** |

जवाब में बताया गया कि कार्यालय में स्थायी रूप से कोई कम्प्यूटर, तकनीकी कर्मी नहीं है | तीन कम्प्यूटर ऑपरेटर है लेकिन इनके द्वारा इस सोफ्टवेयर का उपयोग नहीं किया गया था |

तकनीकी कर्मी के अभाव एवम् कोई उपयोग नहीं होने से व्यय राशि रु 13,64,619 का व्यय निष्फल हुआ।

कंडिका संख्या- 5 हाई मास्ट लाइट एवम् डेकोरेटिव पोल लाइट का क्रय में- रु 328.04 लाख

नगर परिषद् सीवान के दिनांक 27.11.2013 के सशक्त स्थायी समिति की बैठक के प्रस्ताव संख्या-02 में यह निर्णय लिया गया कि शहर के सौंदर्यीकरण एवम् नागरिक सुविधा के मद्दे नजर शहर के मुख्य चौराहों के मोड़ पर बिजली / सोलर चालित हाई मास्ट लाइट नागरिक सुविधा मद से आवश्यकतानुसार क्रय किया जाय | इस हेतु कार्यालय द्वारा दिनांक 02.12.2013 निविदा सूचना प्रकाशन हेतु पत्र सूचना एवम् जनसंपर्क विभाग को पत्र भेजा गया जिस आलोक में दिनांक 12.12.2013 को प्रभात खबर समाचार पत्र में निविदा सूचना का प्रकाशन किया गया | यहाँ स्पष्ट करना है कि बिहार वित्तीय नियमावली 131 (एच) के अनुसार 25 लाख से ऊपर के क्रय हेतु निविदा विज्ञापन का प्रकाशन डायरेक्टर जेनेरल, कमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टेटिस्टिक्स, कोलकाता के द्वारा इंडियन ट्रेड जर्नल (आई.टी.जे.) एवम् एक ऐसे राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्र जिसका विस्तृत प्रसार (वाइड सर्कुलेशन) हो में किया जाना चाहिए | परन्तु कार्यालय द्वारा उपर्युक्त वित्तीय नियमावली का पालन नहीं किया गया |

सशक्त स्थायी समिति के बैठक में आवश्यकतानुसार हाई मास्ट लाइट के क्रय हेतु निर्णय लिया गया था | इसमें अदद (मात्रा) की चर्चा नही थी | बैठक के प्रस्ताव में डेकोरेटिव पोल लाइट के क्रय की भी चर्चा नहीं थी | इसके बावजूद डेकोरेटिव पोल लाईट के क्रय हेतु निविदा निकाली गयी जिसका कोई प्रस्ताव नहीं था | 12 मीटर हाई मास्ट लाईट, 16 मीटर हाई मास्ट लाईट एवम् डेकोरेटिव पोल लाईट के क्रय हेतु निविदा निकाली गयी लेकिन उसमे मात्रा (अदद) स्पष्ट नहीं किया गया बल्कि आवश्यकतानुसार क्रय की चर्चा थी | यहाँ स्पष्ट करना है कि बिना बैठक के प्रस्ताव के रु 1,77,000 की दर से 50 डेकोरेटिव पोल लाइट का का क्रय किया गया जिसपर कुल रु 88,50,000 का व्यय हुआ | डेकोरेटिव पोल लाइट हेतु मेसर्स श्री सती ट्रेडर्स कंपनी द्वारा एकल निविदा प्राप्त हुई | एकल निविदा के लिए बिहार लोक निर्माण